स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन

*255. **श्री अजीत जोगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'फरार' घोषित किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को भी पेंशन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को अलग-अलग कितनी पेंशन-राशि प्रदान की जा रही है;

(घ) 1996-97 के दौरान उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) ऐसे कितने पेंशन संबंधी मामले लम्बित पड़े हैं, तथा उनका निपटारा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ङ) योजना के प्रारम्भ से 31 जनवरी, 1997 तक 1,63,099 व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गयी है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I पर हैं। **(नीचे देखिए)**।

2. जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण फरारी (भूमिगत) की कम से कम 6 महीने के प्रमाणित यातना भोगी है, वे पहले से ही स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान किए जाने के संबंध में विचार हेतु पात्र हैं।

3. केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को दी जा रही पेंशन की राशि 1500 रु० प्रति माह है। भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक यातना भोगियों के मामले में यह राशि 2000 रु० प्रति माह है।

राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को अदा की जा रही पेंशन की राशि अलग-अलग है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II पर हैं। **(नीचे देखिए)**

4. वर्ष 1996-97 (31 जनवरी, 1997 तक) के दौरान, स्वतंत्रता सैनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन की अदायगी पर केन्द्र सरकार द्वारा कुल 1,10,15,26,676 रु० की राशि खर्च की गयी। इसके अतिरिक्त, लगभग 52 करोड़ रु० की राशि कम्पलीमेन्टरी रेल कार्ड पास दिए जाने पर खर्च की गयी।

5. 10.2.1997 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से हाल ही में प्राप्त 52 नए आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के पास निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं। इन नये मामलों की जांच करने और अन्तिम निर्णय यथाशीघ्र समय के भीतर भेजने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

31 जनवरी, 1997 तक जिन स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई उनकी राज्य-वार संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11116
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	4345
4.	बिहार	24600
5.	गोवा	911
6.	गुजरात	3575
7.	हरियाणा	1665
8.	हिमाचल प्रदेश	594
9.	जम्मू और कश्मीर	1783
10.	कर्नाटक	9986
11.	केरल	2819
12.	मध्य प्रदेश	3343
13.	महाराष्ट्र	16513
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4172
19.	पंजाब	6891
20.	राजस्थान	791
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	4074
23.	त्रिपुरा	886
24.	उत्तर प्रदेश	17932
25.	पश्चिम बंगाल	22400
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	89
28.	दादरा और नागर हवेली	—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यक्तियों की संख्या
29.	दमण और दीव	33
30.	दिल्ली	2032
31.	लक्षद्वीप	—
32.	आजाद हिन्द फौज	22079
33.	पांडिचेरी	313
	कुल	1,63,099

विवरण-II

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों को दी जा रही मासिक पेंशन की राशि का राज्य-वार ब्यौरों का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पेंशन की दर
		रु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	500/-
2.	अरुणाचल प्रदेश	कोई पेंशन योजना नहीं है
3.	असम	750/-
4.	बिहार	250/- विशेष भत्ते के रूप में
5.	गोवा	350/- केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने वालों के मामलों में 750/- अन्य के मामलों में
6.	गुजरात	650/- और 750/- मामले की मेरिट के अनुसार
7.	हरियाणा	750/-
8.	हिमाचल प्रदेश	500/-
9.	जम्मू और कश्मीर	300/-
10.	कर्नाटक	500/-
11.	केरल	1000/-
12.	मध्य प्रदेश	1000/-
13.	महाराष्ट्र	1000/- पुरुषों के मामले में 1100/- महिलाओं के मामले में
14.	मणिपुर	250/-
15.	मेघालय	कोई पेंशन योजना नहीं है।
16.	मिजोरम	250/-
17.	नागालैंड	कोई पेंशन योजना नहीं है।
18.	उड़ीसा	500/-
19.	पंजाब	600/-
20.	राजस्थान	500/-
21.	सिक्किम	कोई पेंशन योजना नहीं है
22.	तमिलनाडु	1500/- (250/- केन्द्रीय पेंशन पाने वालों के मामले में केवल विधवाओं और अविवाहित लड़कियों को 100/- रु० प्रतिमाह दिया जाता है।
23.	त्रिपुरा	कोई पेंशन योजना नहीं है।
24.	उत्तर प्रदेश	1050/-
25.	पश्चिम बंगाल	300/-
26.	अंडमान और निकोबार प्रशासन	कोई पेंशन योजना नहीं है।

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पेंशन की दर
		रु॰
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	250/- केन्द्रीय पेंशन पाने वालों के मामले में 400/- अन्य के मामलों में
28.	दादरा और नागर हवेली दमण और दीव	100/-
29.	दिल्ली	500/-
30.	लक्षद्वीप	कोई पेंशन योजना नहीं है।
31.	पांडीचेरी	500/-

Arms seized from Militants

*256. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the State-wise and Union Territory-wise quantum of RDX and explosive items alongwith arms and ammunitions seized from the Kashmiri and other militants in the country during the last three years, till date;

(b) the steps taken so far by Government to prevent such incidents; and

(c) the number of culprits arrested and the action taken till date by Government against such militants?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) Statements showing the recoveries of RDX, Arms, Ammunition and Explosives from militants and other illegal holders during the years 1994, 1995, 1996 and 1997 area attached at Statements I, II, III and IV (*see* below).

(b) At the Central level, the following action is taken to curb militancy:

1. Ensuring coordination with State Governments/Intelligence agencies/Investigating agencies of Central Government on matters relating to exchange of information, sharing of intelligence, planning of strategy and taking coordinated action.

2. Protection of International borders by:

(a) Fencing and flood-lighting in the sensitive areas on international borders.

(b) Strenghtening the BSF on the borders through supply of night vision devices, hand held sets, binoculars, dragon lights etc. so as to enhance their capabilities.

(c) Setting up of additional BOPs (Border Out Posts) with a view to reduce inter BOP distance.

3. Deployment of para military forces and providing assistance of armed forces where necessary in affected areas.

4. Banning of militant 'outfits' where such activities are spread over more than one State.

5. Providing of financial assistance to affected State Governments over and above the on-going allocation for modernisation of police and supply of weapons in special circumstances.

(c) The total number of militants and other illegal holders of RDX, Arms, Ammunition and Explosives, arrested in the last four years is as under:

1994 1995 1996 1997 (Feb. end)

4380 11308 10794 819

Action against arrested persons is taken under the relevant provisions of law, including National Security Act/ Public Safety Act.